DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

(General Information relating to Legislative & other matters)

Friday, August 20, 1999/Shravana 29, 1921 (Saka)

No. 47

(1) **COMMENCEMENT OF THE THIRD SESSION OF THE SECOND LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.**

Members are informed that the Third Session of the Second Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Wednesday, 8th September, 1999 at 2.00 P.M. in the Assembly Hall, Old Secretariat. Delhi.

(2) **ALLOTMENT OF DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING THIRD SESSION**

The sittings of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 8, 9 and 10 September, 1999.

(3) **TIME OF SITTING OF LEGISLATIVE ASSEMBLY**

The sitting of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day, unless the Speaker directs otherwise.

(4) **NOTICES OF QUESTIONS AND HOLDING OF BALLOT**

Under Rule 33 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, not less than 12 days clear notice of questions is required to be given by the Members. Under Rule 36, the Members can give notice of a maximum of five questions in a day (including Short Notice, Starred and Unstarred Question). In case any member gives notices of more than five questions on any day, only his first five notices will be taken up and the remaining notices shall be deemed to have been rejected.

(5) **ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE SECOND SESSION (Rule 37)**

For the Third Session, the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been

....2

set out as under :-

S.No.	Departments	Date of sitting	Last date for receipt of Questions for the Deptts.in Col. 2	Date of holding ballot for determination of priority for oral answers
1	2	3	4	5
1.	Administrative Reforms, General Administration, Education, Training & Technical Education, Vigilance, Labour, Higher Education, Law & Justice, Development, Land & Building, Welfare of SC/ST.	8.9.99	26.8.99 upto 3.00 P.M.	26.8.99 at 5.00 P.M.
2.	Home, Revenue, Planning, Cooperative, Prevention of Food Adulteration, Jails, Services, Transport, Medical Health & Family Welfare, Tourism, Election, Irrigation & Flood Control, Environment Forest & Wild Life.	9.9.99	27.8.99 upto 3.00 PM	27.8.99 at 5.00 P.M
.	Food & Supplies, Public Relations, Sales Tax, Gurudwara Elections, Finance, Urban Development, Social Welfare, Employment, Excise, Industries, Language, Water and Power.	10.9.99	30.8.99 upto 3.00 P.M	30.8.99 5.00 P.M

OTE :-

1) Notices of Questions for the Third Session will be received with immediate effect.

2) A Member may give notices of upto five questions in a day including Starred and Unstarred Questions.

3) Members may kindly note that if notice of any question is received after the last date and time in respect of various departments vide col. No.3 and 4 on pre-page, such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of Notices shall be upto 3.00 P.M.

(4) Where the question draws a reference to a news item published in a national or local daily, the question, in order to be admissible, must be accompanied by the relevant clippings of the news item. The questions not accompanied by relevant clippings are likely to be disallowed.

(5) The clubbing of questions will be done in case several notices of questions on the same subject- matter are received. Notices of questions subsequently received and repeating in substance the same subject matter are liable to be disallowed (Rule 31 (vii).

(6) Mmembers are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of question. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.

(7) Ballot will be held in the room of the Secretary (Room No. 53) at 5.00 P.M. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.

(8) Members may kindly note that notices of questions relating to day-to-day administration and functioning of Municipal Corporation of Delhi may not be entertained. The same are liable to be disallowed under Rule 31 (xiii).

(6) **SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 287**

Members who want to raise matters under Rule 287 may give notice of the same by 11.00 AM on the date the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on each day. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 10-15 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and one issue and for which the Govt.of Delhi is responsible.

(7) **PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS :**

The sitting of the House to be held on Friday, the 10th September, 1999 has tentatively been allotted for Private Members' Bills and Resolutions. The notices of Private Members' Bills and Resolutions will be received upto 3.00 P.M. on 26th August, 1999. The Ballotting for inter-se priority, will be held on 26th August, 1999 at 5.00 P.M. in the Room of Secretary. Members are welcome to participate in the Ballotting.

.....4

(8) **PROCEDURE OF NOTICES**

(a) Kind attention of the Members is invited to Rule 265 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows :-

(1) Every notice required by the Rules shall be given in writing addressed to the Secretary and shall be delivered in Office during working hours.

(2) Unless otherwise provided in these Rules, a notice received in the office at hours after those specified in the preceding sub-rule shall be treated as given on the next opening day."

(b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in capital letters and should be deposited in the Assembly Notice Office.

(c) All notices delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.

(d) The Assembly Notice Office is responsible for transmission of the notices to the Branches/ Officers concerned without dealy. Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Member does so, it is not likely to be taken note of.

(e) The hours specified for the receipt of notices by the Assembly Notice Office are between 10.00 A.M. and 3.00 P.M on the date mentioned for the same. Notices left at the Notice Office after 3.00 P.M. would be treated as having been received at 10.00 A.M on the next working day. This is not intended to preclude the members from sending notices addressed to the Secretary by post.

(9) **VISITORS GALLERY**

Attention of the Members is invited to the directions issued by HON'BLE SPEAKER under Rule 291 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly with regard to admission to the Visitors Gallery. The directions inter alia provided that application forms for the issue of visitors gallery passes must be submitted by 5.00 P.M on the working day previous to the date for which the

....5

gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 8.9.1999 will be accepted upto 5.00 P.M on the earlier day i. e. 7.9.99. Similarly, applications for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors gallery being limited, not more than two passes shall be issued to a member for each sitting. No admission cards for the visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery passes for those visitors whose antecedents are well known to them.

NOTE :

In order to maintain proper decorum in the House, Members are requested not to bring Cellular Phones, pagers or other electronic gadgets etc. in the House. If they are in possession thereof they may kindly ensure that these are kept switched off while they are in the House.

In the interest of timely and orderly transaction of business of the House, Hon'ble Members are requested to kindly cooperate in maintaining the dignity and decorum of the House.

S.K.SHARMA
SECRETARY

704

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

THIRD SESSION (MONSOON SESSION)

PROVISIONAL CALENDAR OF SITTINGS

08 SEPTEMBER, 1999	WEDNESDAY	GOVERNMENT BUSINESS
09 SEPTEMBER, 1999	THURSDAY	GOVERNMENT BUSINESS
10 SEPTEMBER, 1999	FRIDAY	PRIVATE MEMBERS' BUSINESS

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-II

§विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी§

शुक्रवार, 20 अगस्त, 1999 / श्रावण 29, 1921 §शक§

संख्या : 47

§1§ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की द्वितीय विधान सभा के तीसरे सत्र का प्रारम्भ।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की द्वितीय विधान सभा का तीसरा सत्र बुधवार, दिनांक 8 सितम्बर, 1999 को अपराह्न 2.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारम्भ होगा।

§2§ तीसरे सत्र के दौरान कार्य निष्पादन हेतु दिनों का आबंटन ।

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थाई तौर पर 8, 9 और 10 सितम्बर, 1999 के लिए निर्धारित की गई हैं।

§3§ विधान सभा की बैठकों का समय।

जब तक अध्यक्ष अन्यथा आदेश न दें, विधान सभा की बैठकें 2.00 बजे अपराह्न आरम्भ होंगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे उस दिन के लिए स्थगित न कर दिया जाए।

§4§ प्रश्नों के नोटिस एवं बैलेट।

विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम-33 के अंतर्गत समस्त माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्नों की सूचनाएं भेजते समय स्पष्ट रूप से कम से कम 12 दिन का समय देना आवश्यक है। नियम 36 के अंतर्गत सदस्य §अल्प सूचना प्रश्न, तारांकित प्रश्न तथा अतारांकित प्रश्न सहित§ एक दिन के लिए केवल पाँच प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं। यदि कोई सदस्य एक दिन के लिए पाँच से अधिक प्रश्नों की सूचनाएं देता है तो उनकी पहली पांच सूचनाएं स्वीकृत की जायेंगी और बाकी सूचनाएं अस्वीकृत समझी जायेंगी।

§5§ तीसरे सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनों का आबंटन §नियम 37§

मंत्रियों द्वारा तीसरे सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर

देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है :

क्रम संख्या	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम 2 में दर्शाये गये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की अंतिम तिथि	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि
1	2	3	4	5
1·	प्रशासनिक सुधार, सामान्य प्रशासन, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा, सतर्कता, श्रम, उच्च शिक्षा, विधि एवं· न्याय, विकास, भूमि एवं भवन, अ·जा·/ ज·जा· कल्याण	8·9·99	26·8·99 3·00 बजे तक	26·8·99 5·00 बजे
2·	गृह, राजस्व, योजना सहकारिता, खाद्य अपमिश्रण निवारण, कारागार, सेवाएं, परिवहन, चिकित्सा, स्वास्थ्य और जन कल्याण, पर्यटन, चुनाव, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवन	9·9·99	27·8·99 3·00 बजे तक	27·8·99 5·00 बजे
3·	खाद्य एवं सभंरण, जनसंपर्क, बिक्री कर, गुरुद्वारा चुनाव, वित्त, शहरी विकास, परिवार कल्याण, रोजगार, आबकारी· उद्योग, भाषा, जल एवं विद्युत	10·9·99	30·8·99 3·00 बजे तक	30·8·99 5·00 बजे

टिप्पणी

1· तीसरे सत्र के लिए प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जाएंगी।

2· सदस्य एक दिन में तारांकित, अतारांकित प्रश्नों सहित केवल पांच प्रश्नों की सूचना दे सकते हैं।

3· माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि कॉलम 3 और 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जाएगी। सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 3·00 बजे तक है।

4· जहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाए, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जाएंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

5· प्रश्नों को सयुंक्त केवल उसी स्थिति में किया जाएगा, जब एक ही तरह के विषय पर बहुत से प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होंगी। बाद में प्राप्त की गई सूचनाएं, यदि उसी विषय से संबंधित होंगी तो उन्हें (नियम 31 (7) के अन्तर्गत) अस्वीकार कर दिया जाएगा।

6· माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें। यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

7· प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कक्ष (सं0 53) में 5·00 बजे अपराह्न की जाएगी। सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं।

8· माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दिल्ली नगर निगम के दैनिक प्रशासन और कार्यकलापों से संबंधित सूचनाएं न दी जाएं। ऐसे प्रश्नों को नियम 31(13) के अन्तर्गत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

§6§ नियम 287 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

जो माननीय सदस्य नियम 287 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं, वे प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11·00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11·15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी। माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 10-15 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ ही पढ़ें। विषय केवल एक ही विभाग एवं मुद्दे से संबंधित होना चाहिये जिसके लिये दिल्ली सरकार उत्तरदायी है।

§7§ गैर सरकारी सदस्यों के कार्य

गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पः शुक्रवार, 10 सितम्बर, 1999 को होने वाली सदन की बैठक की तिथि अस्थायी तौर पर गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों के लिये आबंटित की गई है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों की सूचनाएं 26 अगस्त, 1999 को अपराह्न 3·00 बजे तक प्राप्त की जायेगी। प्राथमिकता हेतु बैलेटिंग सचिव के कक्ष में 26 अगस्त, 1999 को अपराह्न 5·00 बजे की जायेगी। माननीय सदस्यों का बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिये स्वागत है।

8· नोटिसों की प्रक्रिया

§क§ सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के नियम 265 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो निम्न प्रकार से हैं:-

§1§ प्रत्येक नोटिस जिसकी नियमों के अंतर्गत आवश्यकता हो, सचिव को सम्बोधित करके या लिखित रूप में दी जायेगी और वह उनके कार्यालय में कार्यकाल के भीतर दी जायेगी।

§2§ जब तक नियमों में अन्यथा उपबन्ध न हो, नोटिस जो कार्यालय में उपर्युक्त नियमों में दिये गये समय के उपरांत अन्य किसी समय में प्राप्त हो, वह अगले दिन खुलने वाले दिन प्राप्त हुई समझी जायेगी।

§ख§ नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिये और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिये।

§ग§ विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिये गये सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है।

§घ§ विधान सभा नोटिस कार्यालय सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिये उत्तरदायी है। अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न ही विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें। यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।

§ङ·§ विधान सभा नोटिस कार्यालय द्वारा नोटिसों को प्राप्त करने के लिये विनिर्दिष्ट समय उनके लिये उल्लिखित तिथियों को प्राप्त 10·00 बजे से अपराह्न 3·00 बजे के बीच है। सूचना कार्यालय में अपराह्न 3·00 बजे के बाद दी गई सूचनाओं को अगले कार्य दिवस को प्रातः 10·00 बजे दिया गया माना जायेगा। इसका अभिप्राय सदस्यों को डाक द्वारा सचिव को सम्बोधित सूचनाएं भेजने की सुविधा से वंचित करना नहीं है।

§9§ दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र

सदस्यों का ध्यान दर्शक दीर्घा में प्रवेश संबंधी विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 291 के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा जारी निर्देशों की ओर आकर्षित किया जाता है। इसके साथ-साथ निर्देशों में व्यवस्था है कि दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन पत्र, जिस दिन के लिये प्रवेश पत्र चाहिये, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराह्न 5·00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जायें। उदाहरणार्थ 8·9·99 को होने वाली सदन की बैठक के लिये दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् दिनांक 7·9·99 को अपराह्न 5·00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जायेंगे।

दर्शक दीर्घा में बैठने के सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश-पत्र जारी नहीं किये जायेंगे।

दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यतया उसी दिन जारी नहीं किये जायेंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों को दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र जारी करें, जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हों।

टिप्पणी

सदन में उचित अनुशासन बनाये रखने के उद्देश्य से सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन में **सेलुलर टेलीफोन,** पेजर्स अथवा वैद्युत उपकरण (इलैक्ट्रानिक गैजेट) आदि लेकर न आयें। यदि उनके पास इस प्रकार के उपकरण हों तो वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि **जब वे सदन में हों तो ऐसे उपकरणों का स्विच बन्द रखें।**

सदन में समय के अन्दर और व्यवस्थित ढंग से कार्य के निष्पादन के उद्देश्य से माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने में अपना योगदान दें।

एस॰के॰ शर्मा

सचिव

698

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

तृतीय (वर्षाकालीन) सत्र
बैठकों का अस्थायी तिथि-पत्र

-----

8 सितम्बर, 1999	बुधवार	सरकारी कार्य
9 सितम्बर, 1999	बृहस्पतिवार	सरकारी कार्य
10 सितम्बर, 1999	शुक्रवार	गैर सरकारी सदस्यों के कार्य

....